भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1701
जिसका उत्तर 30 जुलाई, 2025 को दिया जाना है।
8 श्रावण, 1947 (शक)

सीएससी की स्थापना

1701. श्री बी. के. पार्थसारथीः
श्री मोहिब्बुल्लाहः

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्राम पंचायतों में स्थापित किए गए सीएससी (सामान्य सेवा केन्द्रों) की कुल संख्या का विशेषकर आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश सहित राज्य-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) ग्राम पंचायतों में कार्यरत सीएससी की संख्या का विशेषकर आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश सहित राज्य-बार और जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने अपनी सेवाओं को डिजिटल सेवा पोर्टल के साथ सफलतापूर्वक एकीकृत कर दिया है;
(घ) सीएससी से सेवाओं का लाभ उठाने वाले वीएलई (ग्राम स्तरीय उद्यमियों) की विशेषकर आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश सहित राज्य-वार और जिला-वार संख्या कितनी है; और
(ङ) विशेषकर आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश सहित जिला-वार ऐसे सेवा परिदायगी एजेंटों और जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी की संख्या का ब्यौरा क्या जिन्हें जनशक्ति संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ङ): भारत सरकार ने नागरिक केंद्रित सेवाएँ प्रदान करने हेतु सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) स्थापित करने हेतु एक परियोजना शुरू की है। इन सीएससी की स्थापना ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) द्वारा की जाती है।

पंजीकृत और सक्रिय सीएससी का राज्य और जिलावार विवरण वेबसाइट https://csc.gov.in/ पर उपलब्ध है।

कुल 16 राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों ने अपनी ई-सेवाओं को डिजिटल सेवा पोर्टल पर एकीकृत कर दिया है। ये राज्य हैं - असम , बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, सिक्किम, तमिलनाडु। इन राज्यों के सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) नागरिकों को सेवाएँ प्रदान करने के लिए पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं।

सीएससी परियोजना का उद्देश्य नागरिकों को सरकारी सेवाएं प्रदान करना है तथा इसमें जनशक्ति उपलब्ध कराने की परिकल्पना नहीं की गई है।

*****